पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 16/12 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है।

आज अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 13/2/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 8/4/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

23/6 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अप्रार्थी ने 1952 में जवाब
अवमत पाया। अधि. प्रार्थी द्वारा जवाब हेतु अवसर देकर आज
पेश करने हेतु कहा गया। पूर्व में दो बार अवसर दिये जा चुके हैं, जबकि आज
अपेक्षा नहीं, जबकि आवेदन मूल रूप से किया जाता है। बहस अधि. के
एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्ता
का अवलोकन किया गया। बहस अधि. प्रार्थी मुराराम के आवेदन एवं
अधि. अप्रार्थी द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया गया। मूल
पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के हित निहित है। जिनका
निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाना है। इसके
इतर कि विवादित भूमि के मौके की रिकार्ड की यथास्थिति में परिवर्तन होने पर
प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं अतः अप्रार्थी के विवादित भूमि के
मौके की रिकार्ड की यथास्थिति अग्रिम रूप से जारी आदेश पारित किया
जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के स्वीकार किया जाता
है तथा अप्रार्थीगण को अग्रिम आदेश निषेधाज्ञा जारी किया
जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 627, 630, 655 क्र. 657
कुल क्षे. 04 कुल रकबा 1.98 हेक्टेयर के संबंध में राधाकिशन पुत्र
तहसीलदार जिला सीकर की भूमि की तारबंदी मौके की रिकार्ड
की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नियमानुसार सुनवाई होकर तय
होने तक, दायक दफ्तर हो। विशेष आज मेरे हस्ताक्षर से
जारी किया गया।